राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण

तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220872, 5188104 फैक्स नं.:2224754, E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in

क्रमांक : 6.(36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/2016–17/1614-1655 दिनांक :– 18.02.2018

जिला कलक्टर,
समस्त जिलें।

विषय : जैव ईंधन (बायोडीजल बी–100) के पम्प खोलने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक एफ 6(36)/ग्रा.वि./बी.एफ.ए./कम्पनीज/2016–18/56 दिनांक 10.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय में जिला कलक्टर भीलवाडा, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन एवं पिछले काफी समय से मौखिक, ई–मेल व दूरभाष पर यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि जैव ईंधन (बायोडीजल बी–100) के नाम पर पम्प खोलकर जैव ईधन की सीधी बिक्री की जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में उपरोक्तानुसार उक्त बिक्री पर रोक जारी की गई है। अतः इसकी पालना करवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : दिनांक 10.04.2017की प्रति

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
उप–शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एम.), पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज., जयपुर।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त जिलें, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिलें, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
उप–शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण

तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं.:2224754, E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in

क्रमांक : 6.(36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/2016–17/56 दिनांक 05.04.2017

10-4-17

जिला कलक्टर,
समस्त जिलें।

विषय :– जैव ईंधन की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन की सीधी बिक्री हेतु दिनांक 10.08.2015 को अधिसूचना जारी की गयी है, जिसके अनुसार जैव ईंधन की सीधी बिक्री के सीमित उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा विनिर्दिष्ट नवीनतम मानकों के अनुरूप थोक उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी–100) की सीधी बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अधिसूचना के अनुसार जैव ईंधन की यह बिक्री निजी जैव ईंधन उत्पादकों एवं उनके प्राधिकृत डीलरों द्वारा थोक उपभोक्ताओं जैसे रेल्वे, राज्य परिवहन उपक्रम एवं अन्य थोक उपभोक्ताओं को स्वयं की खपत के लिए जिनकी न्यूनतम आवश्यकता 12,000 लीटर से कम ना हो, को की जा सकती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में स्थित एवं राज्य के बाहर के निजी जैव ईंधन उत्पादकों तथा अन्य निजी जैव ईंधन आयातकों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जैव ईंधन की सीधी रिटेल बिक्री हेतु डीलर बनाये जाने के लिए आवेदन मांगे जाकर उनसे भारी राशि जमा कर जैव ईंधन की रिटेल बिक्री हेतु डीलरशीप दी जा रही है। इसी क्रम में निजी उत्पादकों एवं उनके प्राधिकृत डीलरों द्वारा राज्य में रिटेल आउटलेट के माध्यम से जैव ईंधन की खुली बिक्री की जा रही है। जो कि उक्त अधिसूचना के विरूद्ध है।

उपरोक्त प्रकरण बायोफ्यूल प्राधिकरण से सम्बन्धित है जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य में बायोफ्यूल सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करता है। अतः वर्तमान में भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन की सीधी बिक्री हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2015 के अनुसार आपके जिले में निजी जैव ईंधन उत्पादकों एवं आयतकों द्वारा उक्त अधिसूचना के विरूद्ध की जा रही सीधी रिटेल बिक्री को तत्काल बन्द कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही भविष्य में भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नवीन अधिसूचना/नियम जारी होने तक आपके जिले में जैव ईंधन की सीधी खुली बिक्री पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : अधिसूचना दिनांक 10.08.2015

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपिः– 57/10-4-17

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एम.), पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त जिलें, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 498] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015/SHRAVANA 19, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 621(अ).—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:

1. (1) इस आदेश को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2015 कहा जाए।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में खंड 6 के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, नामत:

"6क हाई स्पीड डीजल मिश्रित जैव डीजल की सीधी बिक्री का सीमित उद्देश्य

(1) केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप थोक उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी-100) की बिक्री करने की अनुमति प्रदान कर सकती है, नामत:

(i) रेलवे

(ii) राज्य परिवहन उपक्रम, और

(iii) एक टैंक ट्रक की आपूर्ति की अपनी खपत के लिए जैव डीजल की न्यूनतम आवश्यकता रखने वाले अन्य थोक उपभोक्ता जिनकी आवश्यकता 12000 लीटर से कम नहीं होगी।

(2) खंड (1) के प्रयोजन हेतु "तेल कंपनी" का अभिप्राय इंडियन आयल कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., कोई भी निजी जैव डीजल विनिर्माताओं, ऐसी तेल

कंपनियों के प्राधिकृत डीलरों और केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के संयुक्त उद्यमों से है।"

[मि. सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुसार प्रकाशित किया गया था और बाद में संख्या सा.का.नि. 18(अ), 12 जनवरी, 2007, संख्या सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2009 और संख्या सा.का.नि. 352(अ), दिनांक 6 मई, 2014 के अनुसार इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2015

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, after clause 6, the following clause shall be inserted, namely :—

"6A. Limited purpose of direct sale of bio-diesel blending with high speed diesel.—

(1) The Central Government may permit the sale of bio-diesel (B-100) for blending with high speed diesel to bulk consumers, in accordance with the standards specified by Bureau of Indian Standards, namely :—

(i) the Railways;

(ii) the State Transport Undertakings, and

(iii) other bulk consumers having minimum requirement of bio-diesel for their own consumption by a tank truck load supply which shall not be less than twelve thousand litres.

(2) For the purposes of clause (1), "oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, any private bio-diesel manufacturers, the authorised dealers of such oil companies and Joint Ventures of Public Sector Oil Marketing Companies authorised by the Central Government."

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R.18(E), dated the 12th January, 2007, number G.S.R.1(E), dated the 1st January, 2009 and number G.S.R. 352(E) dated 6th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054